संख्या-6887/IV—01/रा0प0/2020—21

प्रेषक,
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,
जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी,
पौडी गढ़वाल।

रा0प0 (स्वामित्व योजना) देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2020

विषयः—प्रदेश में "स्वामित्व योजना" लागू करने हेतु ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीकी के साथ ग्रामों की मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्रामों की ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से तैयार नक्शे के आधार पर सर्वेक्षण किया के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश में स्वामित्व योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीक के साथ ग्रामों की मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तहसील यमकेश्वर के प्रथम फेज हेतु चयनित 05 राजस्व ग्रामों में से 03 राजस्व ग्रामों यथा जुड्डा, पुण्डासूं एवं मराल की ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से तैयार आबादी क्षेत्र के नक्शे तैयार कर परिषद् को उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके आधार पर योजना की गाईडलाईन एवं सर्वेक्षण नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वर्णित राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों में सर्वेक्षण कियायें सम्पादित की जानी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 23 जुलाई 2020 को परिषद् स्तर पर जनपद पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर तहसील के तहसीलदार एवं उनके अधीनस्थ स्टॉफ तथा पंचायती राज विभाग के स्टॉफ को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ/नक्शों पर सर्वेक्षण किया के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी गयी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा परिषद् को उपलब्ध कराये गये 03 राजस्व ग्रामों यथा **जुड्डा, पुण्डासूं एवं मराल** की ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से तैयार आबादी क्षेत्र के नक्शों की मूल प्रति तहसीदार यमकेश्वर के प्रतिनिधि/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से दिनांक 25 जुलाई 2020 को परिषद् स्तर से उपलब्ध करा दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किये गये उक्तांकित नक्शों के आधार पर योजना की गाईडलाईन एवं सर्वेक्षण नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्वामित्व निर्धारण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों/सम्पत्ति स्वामियों के विवरण संलग्न **प्रारूप—1** पर संकलित कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध कराये जाने हैं।

इस निमित्त उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद एवं तहसील स्तर पर **दिनांक 02 अक्टूबर 2020 को मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को डिजिटली सम्पत्ति के अभिलेख वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम** के दृष्टिगत प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप से सम्पादित किये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही सम्पादित की जानी है:—

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से तैयार आबादी क्षेत्र के नक्शों पर सर्वे लेखपाल द्वारा सम्पति का संख्यांकन नक्शे पर सर्वेक्षण नियमावली के अनुसार किया जाना है, जिसे प्रारूप—01 पर भी अंकित किया जाना है।

कमशः—2

2. जनपद स्तर पर राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों की संयुक्त टीम गठित करने उपरान्त ग्राम की आबादी की सम्पत्तियों का संख्यांकन नक्शे पर करने के उपरान्त संख्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों का त्रुटिरहित विवरण संलग्न प्रारूप पर एकत्र कर एक पजी में अंकित किया जाना है।
3. जनपद स्तर पर पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर एकत्र सम्पत्ति के स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के त्रुटिरहित विवरण को टंकित करवाने हेतु फील्ड स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर, लैपटॉप आदि की समस्त व्यवस्था सम्बन्धित तहसील को उपलब्ध करायेंगे।
4. जनपद द्वारा सम्पत्ति के स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के त्रुटिरहित विवरण को निर्धारित प्रारूप पर परिषद् को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि तद्नुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग को नक्शों में संकलित जानकारी को इन्द्राज करवाये जाने हेतु प्रेषित किया जा सके।
5. जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा योजना के प्रथम चरण हेतु चयनित 10 ग्रामों में से **ग्राम जुड्डा, पुण्डासूं एवं मराल** में सम्पत्ति के स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के त्रुटिरहित विवरण को निर्धारित **प्रारूप–1** पर प्रत्येक दशा में **हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 03–08–2020** तक अनिवार्यतः परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा, इस हेतु जनपद स्तर पर सर्व सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्व निर्धारित किये जायें।
6. जनपद स्तर से संकलित सूचना को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा नक्शे पर इन्द्राज करवाने उपरान्त पुनः नक्शे को परिषद् के माध्यम से जनपद को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे जनपद द्वारा पुनः ग्राम स्तर पर प्रदर्शित कर किसी भी प्रकार की त्रुटि के निस्तारण हेतु आपत्तियॉ आमंत्रित की जायेंगी जिसपर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वेक्षण नियमावली के अनुसार नियमानुसार आपत्तियों का निस्तारण कर पुनः अद्यावधिक सूचना को निर्धारित **प्रारूप–1** पर ही राजस्व परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि तद्नुसार पुनः नक्शे में इन्द्राज जानकारी को दुरूस्त किया जा सके।
7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अन्तिम त्रुटिरहित नक्शा परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे परिषद् से जनपद को प्रेषित किया जायेगा।
8. जनपद स्तर से सम्पत्ति का अभिलेख/प्रलेख एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्ति/सम्पत्ति स्वामी को वितरण किया जायेगा।
9. जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी उपरोक्त कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करवाने हेतु यथा आवश्यकता सम्बन्धित परगने की तहसील को उसकी मिलानी तहसीलों/परगनों के अतिरिक्त राजस्व एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की जनशक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।
10. जनपद के प्रथम फेज हेतु चयनित राजस्व ग्रामों में **दिनांक 02 अक्टूबर 2020 को मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सम्पत्ति का अभिलेख वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम** के दृष्टिगत जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य को **दिनांक 25 सितम्बर 2020 तक** प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के लक्ष्य के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सम्पादित करवायेंगे।
11. स्वामित्व योजना अन्तर्गत **दिनांक 02 अक्टूबर 2020** को निर्धारित कार्यक्रम हेतु सवेक्षण कार्य हेतु जनपद/तहसील के प्रत्येक स्तर पर किसी भी बिलम्ब के लिये सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वंय उत्तरदायी होगें।
12. उपरोक्त समस्त कार्यवाही योजना की गाईडलाईन एवं सर्वेक्षण नियमावली के अनुसार सम्पादित की जावेगी।

कमशः––3

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि स्वामित्व योजना अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्यों को उक्तांकित निर्देशों के अनुसार तत्काल क्रियान्वित करवाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
आयुक्त एवं सचिव

संख्याः एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व/पंचायती राज विभाग, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंहनगर।
6. जिला पंचायती राज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

आयुक्त एवं सचिव

ग्राम–
ग्राम का LGD कोड–
परगना–
तहसील–
जिला–

मूल खसरा संख्या	भूमि की श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार (राजकीय/पंचायत/निजी	सम्पत्तिधारक का नाम	सम्पत्तिधारक का पितृ नाम	सम्पत्तिधारक का निवास स्थान	सम्पत्तिधारक का पहचान पत्र संख्या (आधार/पैन नम्बर/वोटर आई0डी0 नम्बर)	सम्पत्तिधारक का मोबाईल नम्बर	क्षेत्रफल		भू–राजस्व	अभ्युक्ति
									निर्मित	खुला		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12